

## थाना देवगाँव

थानाक्षेत्र में चोरी की विभिन्न घटनाओं को अंजाम देने वाले 7 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के आभूषण व अवैध तमंचा कारतूस बरामद

### पूर्व की घटनाएं-

थानाक्षेत्र देवगाँव में अज्ञात चोरो द्वारा पूर्व में विभिन्न चोरी की घटना कारित किया गया था।

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर

मु0अ0सं0 22/2023 धारा 457/380 भादवि,

मु0अ0सं0 32/2023 धारा 457/380 भादवि

मु0अ0सं0 33/2023 धारा 457/380 भादवि,

मु0अ0सं0 68/2023 धारा 457/380 भादवि

मु0अ0सं0 71/2023 धारा 457/380 भादवि,

मु0अ0सं0 353/2022 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत कर घटनाओं के अनावरण हेतु लगातार प्रयास जारी था। इसी क्रम में:-

### गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 11.03.2023 को निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह के साथ चेकिंग में टीकरगाढ़ में मौजूद थे कि एक टैम्पू जिस पर 6- 7 व्यक्ति बैठकर काफी तेज गति से लालगंज की तरफ से आता हुआ दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा करने पर टैम्पू भीरा की तरफ भागने लगा। दूरभाष के माध्यम से थाने की द्वितीय मोबाईल को सूचना देते हुए पुलिस टीम द्वारा पीछा करने किया जाने लगा। सामने से द्वितीय मोबाईल आता देखकर टैम्पू चालक गोगही जाने वाले रास्ते पर भागने लगा। रास्ता खराब होने के कारण दोनो पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। टैम्पू में चालक सहित 05 पुरुष व 02 महिला बैठे थे।

### पूछताछ करने पर अपना नाम-

1. बाले पुत्र अच्छेलाल सोनकर निवासी कस्बा देवगाँव थाना देवगाँव आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।
2. सोनू जायसवाल पुत्र सुनील जायसवाल निवासी नन्दापुर थाना देवगाँव आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।
3. कुन्दन पुत्र दशरथ गौड़ निवासी चोलापुर थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।
4. फतेह बहादुर पुत्र शिवराज हरिजन निवासी जोगापट्टी नन्दापुर थाना देवगाँव आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।
5. रवि प्रकाश पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाँव आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।
6. सुनीता पत्नी राजेश यादव निवासी चेवार गोवर्धनपुर थाना देवगाँव आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष।
7. सुनीता पत्नी सुनील जायसवाल निवासी नन्दापुर थाना देवगाँव आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष बताया।

➔ गिरफ्तार सभी अभियुक्तों की तलाशी लेने पर 01 नाजायज तमंचा 12 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 03 चाकू, 03 अदद मोबाइल, विभिन्न चोरीयों के सोने चाँदी के जेवरात, 02 बैटरी, 01 इन्वर्टर, 05 साड़ी, बर्तन, चोरी की घटना में प्रयुक्त आटो की बरामदगी हुयी।

### पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि सुनीता जायसवाल तथा साथ में बैठी सुनीता निवासी चेवार गोवर्धनपुर, घुमकर सुनसान व तालाबन्द मकानों व दुकानों की रेकी करती है। सोनू, कुन्दन, बाले, फतेह बहादुर, रवि प्रकाश तथा कस्बा देवगाँव के रहने वाले अफरोज पुत्र कमालुद्दीन व चेवार निवासी शेरू यादव उर्फ नीरज यादव पुत्र राजेश यादव इसी टैम्पू गाड़ी से अपने अपने पास लिए असलहों से यदि कोई व्यक्ति जागजाता है तो उसे असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देते हैं और आसानी से निकल भागते हैं।

➔ दिनांक 29.01.2023 को ग्राम कलिचाबाद में एक मकान से घर में घूसकर चोरी किये थे जिसमें सोने व चाँदी का जेवरात व साड़िया मिली थी।

➔ दिनांक 28.01.2023 को ग्राम नन्दापुर में एक सिलाई की दूकान से इन्वर्टर, बैटरी, सिलाई मशीन व कुछ कपड़े की चोरी की थी।

➔ दिनांक 23.01.2023 को मानीकपुर किशुनपुर से एक मकान में घूसकर सोने व चाँद के जेवरात तथा कुछ रूपये मिले थे।

➔ दिनांक 14.02.2023 को ग्राम सरूपहां से एक मकान में हम सभी लोग मिलकर इसी टैम्पू से जाकर चोरी किये थे जिसमें मंगलसुत्र, नथिया, पैजनी व कुछ रूपये नकद मिले थे

➔ दिनांक 13.02.2023 को ग्राम सुखपुर छावनी से एक दूकान से एक इन्वर्टर, बैटरी व इलेक्ट्रॉनिक काँटा चोरी किये थे।

➔ अभियुक्तों का सहयोगी शेरू यादव व अफरोज प्यारेलाल प्रजापति पुत्र लालचन्द्र प्रजापति सा0 गोडासन थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर के साथ रामपुर कठरवां में एक मकान से बन्दूक, कारतूस कपड़े व बर्तन की चोरी भी किये थे।

### अपराध का तरीका

सुनीता यादव व सोनू की माँ सुनीता देवी के रेकी करने पर बताये गये मकान/दुकान में इन असलहों के साथ चोरी करने जाते हैं। यदि कोई जाग जाता है तो उसे अपने पास लिए असलहे व चाकू को दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर चुप कराकर भाग जाते हैं तथा बरामद सामानों में से काम लायक चीजों को आपस में बाँटकर प्रयोग करते हैं तथा अन्य सामानों को बँचकर मिले रूपयो को बराबर बराबर आपस में बाँट लेते हैं। हम सभी लोगों द्वारा मिलकर कलिचाबाद, सरूपहां, शेखपुर छावनी, मानिकपुर किशुनपुर, नन्दापुर व रामपुर कठरवां में इसी टैम्पू से जाकर चोरी किये थे।

### पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 05/2023 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना देवगाँव।

### बरामदगी का विवरण-

01 नाजायज तमंचा 12 बोर.

01 जिन्दा कारतूस 12 बोर.

03 चाकू,

03 अदद मोबाइल,

विभिन्न चोरीयों के सोने चाँदी के जेवरात,

02 बैटरी,

01 इन्वर्टर,

05 साड़ी,  
बर्तन,  
चोरी की घटना में प्रयुक्त आटो

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु.अ.सं. 22/2023 धारा 457,380,34,411,413 भा0द0वि0 देवगाँव आजमगढ़
2. मु.अ.सं. 32/2023 धारा 457,380,34,411,413 भा0द0वि0 देवगाँव आजमगढ़
3. मु.अ.सं. 33/2023 धारा 457,380,34,411,413 भा0द0वि0 देवगाँव आजमगढ़
4. मु.अ.सं. 68/2023 धारा 457,380,34,411,413 भा0द0वि0 देवगाँव आजमगढ़
5. मु.अ.सं. 71/2023 धारा 457,380,34,411,413 भा0द0वि0 देवगाँव आजमगढ़
6. मु.अ.सं. 353/2022 धारा 457/380 भादवि देवगाँव आजमगढ़
7. मु.अ.सं. 105/2023 धा आ 3/25 शस्त्र अधिनिय बनाम सोनू जायसवाल देवगाँव आजमगढ़
8. मु.अ.सं. 106/2023 धारा 4/25 शस्त्र अधिनिय बनाम कुन्दन देवगाँव आजमगढ़
9. मु.अ.सं. 107/2023 धारा 4/25 शस्त्र अधिनिय बनाम फतेह बहादुर देवगाँव आजमगढ़
10. मु.अ.सं. 108/2023 धारा 4/25 शस्त्र अधिनिय बनाम रवि प्रकाश देवगाँव आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. बाले सोनकर पुत्र अच्छेलाल सोनकर निवासी कस्बा देवगाँव थाना देवगाँव आजमगढ़
2. सोनू जायसवाल पुत्र सुनील जायसवाल निवासी नन्दापुर थाना देवगाँव आजमगढ़
3. कुन्दन पुत्र दशरथ गौड़ निवासी चोलापुर थाना चोलापुर वाराणसी
4. फतेह बहादुर पुत्र शिवराज हरिजन निवासी जोगापट्टी नन्दापुर थाना देवगाँव आजमगढ़
5. रवि प्रकाश पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाँव आजमगढ़
6. सुनीता पत्नी राजेश यादव निवासी चेवार गोवर्धनपुर थाना देवगाँव आजमगढ़
7. सुनीता पत्नी सुनील जायसवाल निवासी नन्दापुर थाना देवगाँव आजमगढ़

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-**

नि0 रुद्रभान पाण्डेय  
व0उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे  
उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव  
उ0नि0 विनय कुमार यादव  
हे0का0 विनोद कुमार यादव  
हे0का0 संजय कुमार दूबे  
का0 शिवम तिवारी  
का0 शिवम राय  
म0आ0 सुषमा यादव  
म0आ0 संध्या कुमारी

**थाना बिलरियागंज**

**अवैध तमंचा व कारतूस के साथ शातिर चोर गिरफ्तार**

➔ दिनांक 10.03.2023 को उपनिरीक्षक मुखराज यादव मय फोर्स के साथ भीमबर बाजार में वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि भीमबर नहर पुलिया पर एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास अवैध तमंचा हैं। कही जाने के फिराक में साधन का इन्तजार कर रहा है। यदि जल्दी किया जाय तो तमंचे के साथ पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराह के साथ भीमबर नहर पुलिया के पास पहुँचकर खड़े व्यक्ति को घेराबन्दी कर पकड़ लिया गयाह  
पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम सोनू यादव पुत्र बलिहारी यादव ग्राम भगवानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया। जिसके जामा तलाशी से 01 तमंचा .303 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .303 बोर प्रतिबंधित बरामद हुआ ।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

सोनू यादव पुत्र बलिहारी यादव ग्राम भगवानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

**बरामदगी**

01 अवैध तमंचा .303 बोर  
01 अदद कारतूस .303 बोर

**पंजीकृत अभियोग**

1. मु0अ0सं0 102/2023 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

**आपराधिक इतिहास**

2. मु0अ0सं0 74/2018 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 117/2018 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 139/2018 धारा 41/411/413/414/467/468/ भा0द0वि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

5. मु0अ0सं0 121/2018 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

6. मु0अ0सं0 102/2023 धारा 3/7/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

उ0नि0 मुखराज यादव थाना बिलरियागंज मय हमराह।

**थाना दीदारगंज**

**दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व का विवरण-**

दिनांक 21.01.2023 को शिकायतकर्ता की तहरीर के अज्ञात अपहरणकर्ता के विरुद्ध थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 07/23 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम पंजीकृत हुआ था। विवेचना में पीड़िता की बरामदगी व बयान से धारा 366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त सुभाष गौतम पुत्र राजेन्द्र गौतम ग्राम कुशलगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया था जो फरार चल रहा था।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

आज दिनांक 11.03.2023 को उ0नि0 मय हमराह के चौकी मार्टीनगंज से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र करते हुये चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन भादो मोड पर मौजूद था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की साहब मु0अ0सं0 7/23 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त जिसको आप तलाश कर रहे हैं इस समय कस्बा मार्टीनगंज में मौजूद है साधन पकड कर कही जाने के फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराह मय मुखबीर को साथ लेकर भादो मोड से कस्बा मार्टीनगंज आया तो आटो स्टैण्ड पर खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके मुखबीर बताया कि साहब वही वह व्यक्ति है जिसको आप तलाश कर रहे हैं तथा मुखबीर हट बढ गया। जैसे ही हम पुलिस वाले आटो स्टैण्ड पर पास पहुचां तो संदिग्ध व्यक्ति मिला जिससे उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुभाष गौतम पुत्र राजेन्द्र गौतम ग्राम कुशलगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया।जानकारी किया गया तो मु0अ0सं0 7/23 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त है

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. सुभाष गौतम पुत्र राजेन्द्र गौतम ग्राम कुशलगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-**

मु.अ.सं. 07/23 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट, दीदारगंज, आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़
2. उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय थाना दीदारगंज आजमगढ़।
3. का0 गुड्डू कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़
4. का0 आशीष प्रताप सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़